न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/21/2024

दायर दिनांक 05.02.2024

उनवान

1. प्रमोद कुमार पिता स्व. ओमप्रकाश बारेगामा उम्र वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. विनोद कुमार पिता स्व. ओमप्रकाश बारेगामा उम्र वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

—प्रार्थी।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक 03.06.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व. ओमप्रकाश बारेगामा ने अपने खातेदारी अधिकार की मौजा केसरखेडी तहसील कपासन की गत पैमायश की आराजी नम्बर 612/1 रकबा 6 बिघा 1 बिस्वा में से 5007 वर्गगज भूमि पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कार्यालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के दिनांक 19.07.1996 के आदेश के जरिये प्राप्त की और इसके बाद पेट्रोल पम्प स्थापित किया जो कार्यरत है।

यह कि उक्त आदेश की पालना में राजस्व रेकार्ड में अब तक परिवर्तन नही किया गया है।

यह कि उक्त आराजी नंबर 612/1 रकबा 6 बिघा 1 बिस्वा के वर्तमान पैमायश में नये नम्बर 867 बने है तथा उक्त आराजी में से जो 5007 वर्गगज भूमि का परिवर्तन किया गया है उसके नये नम्बर 1462/1456 रकबा 0.4784 बने है और उक्त भूमि वर्तमान में अभी भी परिवर्तन कर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर दर्ज नही की गई है। ओमप्रकाश जी की मृत्यु के बाद वर्तमान में उक्त जमीन उनके वारिस प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है।

इस प्रकार उक्त आराजी नम्बर 1462/1456 रकबा 0.4784 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है—

1. राजस्व ग्राम केसरखेडी की जमाबन्दी संवत् 2074—77 के खाता संख्या 10 के आराजी संख्या 1462/1456 रकबा 0.4784 हैक्ट0 किस्म बारानी खातेदार प्रमोदकुमार 1/2 हिस्सा तथा विनोद कुमार 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ

2. यह कि बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या में रकबा 0.42 हैक्ट0 भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालित है। तथा 0.0584 हैक्ट0 भूमि सडक सीमा में स्थित होकर रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है।

3. लीज में वर्णित भूमि संचालित पेट्रोल पम्प का राजस्व रेकार्ड में पूर्व में इन्द्राज संबंधित जानकारी उपलब्ध नही है।

4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ आदेश क्रमांक/राजस्व/12–3(5)95/1207 दिनांक 19.07.1996 के अनुसार आराजी नम्बर 612/1 में से 5007 वर्गगज (0.4186) हैक्ट0 लीज के आदेश हुआ।

5. वर्तमान मौका अनुसार 0.42 हैक्ट0 पर पेट्रोल पम्प स्थापित होकर संचालित है। जो श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार मिलान होता है।

अतः राजस्व रेकार्ड में पेट्रोल पम्प के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार कपासन द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिधे वहस हेतु निवेदन किया गया जो स्वीकार किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः तहसीलदार कपासन की राजस्व अनुशंषा स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन की आराजी संख्या 1462/1456 रकबा 0.4784 हैक्ट0 में से 0.4186 हैक्ट0 संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 03.06.2025 अनुसार किस्म पेट्रोल पम्प किये जाने का आदेश आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास में सुनाया गया।

(राजेश सुवीलका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन